दी बाड़मेर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि., बाड़मेर
प्रधान कार्यालय, महावीर नगर, बाड़मेर
BCCB
BCCB BARMER
Phone . 02982-220461,220345 E-mail: dccb.barmer@rajasthan.gov.in Website:- www.ccbbarmer.in

BCCB/2021-22/AF/.5453

Date:- 09-11-2021

परिपत्र

बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के निर्देशानुसार प्रशासक महोदय से अनुमोदन करवाकर **Clean Note Policy** अपनाई गई है जो निम्नानुसार है–

- शाखाओं द्वारा किसी भी तरह के नोटों को स्टेपल नहीं किया जाकर इसके बजाय नोटों को पेपर बैण्ड से पैक किया जावे।
- शाखाओं द्वारा नोटों को इश्युएबल व नॉन इश्युएबल श्रेणी में छटनी की जावे।
- ग्राहकों को केवल इश्युएबल नोट ही जारी किये जावे।
- शाखाओं द्वारा नोटों के वाटरमार्क सहित किसी भी भाग पर कुछ भी नहीं लिखा जावें।
- बैंक द्वारा नॉन इश्युवेबल नोटों को चेस्ट ब्रांच में जमा करवाया जावे।
- शाखाओं द्वारा नोटों का सही प्रकार से रखरखाव किया जावें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट व सिक्कों को बदलना व 50 पैसे से लेकर रूपये 20.00 तक के सिक्कों को स्वीकार करना, कटे–फटे व पुराने नोट स्वीकार करना व बदलना तथा इसके सम्बन्ध में सूचनाओं को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना, स्टॉफ को प्रशिक्षित करना इत्यादि के सम्बन्ध में निर्देश देते हुए **Clean Note Policy** लागु करने हेतु निर्देशित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी **Clean Note Policy** व इसके सम्बन्ध में जारी संशोधित परिपत्र संख्या **RBI/2018-19/3 DCM(NE) No.G-2/08.07.18/2018-19** दिनांक 02.07.2018 एवं परिपत्र दिनांक 01 जूलाई 2020 के अनुसार क्लीन नोट पॉलिसी अपनाई गई है। सभी शाखाएं उपरोक्त पॉलिसी के अनुसार नोटो का रखरखाव व ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(रामसुख)
प्रबन्ध निदेशक

BCCB/2021-22/AF/.5454-57

Date:- 09-11-2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 श्रीमान् मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जयपुर।
2 श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, शीर्ष सहकारी बैंक, जयपुर।
3 अनुभाग अधिकारी, समस्त, प्र.का., बैंक।
4 शाखा प्रबंधक, समस्त को भेजकर लेख है कि क्लीन नोट पॉलिसी की पालना करना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक